राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 748/2012/श्रीगंगानगर.
2. अपील संख्या – 749/2012/श्रीगंगानगर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर. .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स खण्डेलिया ऑयल एण्ड जनरल मिल (प्रा0) लिमिटेड, श्रीगंगानगर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जे. एन. शर्मा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/10/2017

निर्णय

1. उपरोक्त दोनों अपीलें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 216 व 215/आरवेट/श्रीगंगानगर/10–11 में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 09.08.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की आलौच्य अवधियों वर्ष 2006–07 व 2007–08 के लिये वेट अधिनियम की धारा 24(6) सपठित नियम 35 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 26.7.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये हैं।

2. उपरोक्त दोनों अपीलों के पक्षकार, तथ्य एवं विवाद बिन्दु समान होने से दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है तथा निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. सुनवाई के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 09.08.2011 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरणों में पुनः वेट अधिनियम की धारा 24(6) सपठित नियम 35 के तहत दोनों वर्षों के लिये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 14.7.2016 पारित किये जा चुके हैं। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में आदेश दिनांक 14.7.2016 की प्रतियां भी प्रस्तुत की। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी के

लगातार.....2

प्रतिप्रेषित आदेशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः आदेश पारित कर दिये जाने के फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत ये दोनों अपीलें निष्प्रभावी हो जाती हैं।

1. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें निष्प्रभावी (infructuous) हो जाने से खारिज की जाती हैं।

5. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य